कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)

सामान्य सभा की सम्मिलन दिनांक 30.09.2015 की कार्यावली

सदन की कार्यवाही 12.00 बजे वन्दे मातरम् के साथ प्रारंभ की गई । सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही दिनांक 16.07.2015 एवं 17.07.2015 को संपन्न हुई सामान्य सभा की बैठक में लिये गये निर्णय के कियान्वयन की समीक्षा मान0अध्यक्ष महो0 द्वारा विषयवार की गई । तत्पश्चात् आज की बैठक में सम्मानीय पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्नो पर चर्चा की गई । जो कि निम्नानुसार है :–

01. माननीय श्री संजय पाण्डे जी द्वारा किये गये प्रश्न :–

1.	सामान्य सभा दिनांक 20.04.15 एवं 16.04.15 एवं 17.07.2015 में लिए निर्णय एवं कार्यवाही हेतु चर्चा ।	*सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही दिनांक 16.07.2015 एवं 17.07.2015 को संपन्न हुई सामान्य सभा की बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में चर्चा की गई तथा लिये गये निर्णय पालन प्रतिवेदन से सदन को अवगत कराया गया ।*

02. माननीय श्री कौशिक शुक्ला जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	नगर निगम जगदलपुर में कुल कितने स्थाई एवं कितने प्लेसमेंट कर्मचारी है तथा समस्त वार्डो में किस आधार पर बटवारा किया गया है । जिसकी लिखित जानकारी वार्डवार नाम सहित प्रदाय किया जावें ।	मान0 श्री कौशिक शुक्ला द्वारा पूछे प्रश्न के संबंध में मान0 श्री राजेश चौधरी, सभापति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई है :– नियमित कर्मचारियों का पदवार जानकारी 1. सफाई कामगारों की संख्या – 127 2. वाहन चालकों की संख्या – 24 3. वार्ड प्रभारियों की संख्या – 12 4. चौंकीदारों की संख्या – 4 5. अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या – 3 प्लेसमेंट कर्मचारियों का पदवार जानकारी 1. सफाई कामगारों की संख्या – 129 2. वाहन चालकों की संख्या – 39 3. वाहन चालक हेल्पर की संख्या – 1 4. कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या – 2 5. वार्ड प्रभारियों(सुपरवाईजर)की संख्या– 29 6. चौकीदारों की संख्या – 3 इस प्रकार नियमित कर्मचारियों की संख्या – 170 तथा प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या – 203 है । प्रत्येक वार्ड मे 03–03 सफाई कामगारों की

		ड्यूटी निर्धारित की गई है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी मान0 श्री कौशिक शुक्ला जी को पृथक से उपलब्ध कराने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया । चर्चा के दौरान मान0 महापौर महो0 द्वारा सदन में जानकारी दी गई है कि प्रत्येक कर्मचारियों से 8 घण्टे लिया जावेगा । इस हेतु प्रथम पहर में प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक वे अपने वार्डो में नियमित साफ–सफाई का कार्य करेंगें तथा द्वितीय प्रहर में 2 बजे से 5 बजे तक गैंग बनाकर आवश्यकतानुसार विभिन्न वार्डो में साफ–सफाई कार्य करवाया जावेगा । यह व्यवस्था माह अक्टूबर से प्रांरभ की जावेगी ।
2.	नगर निगम द्वारा भवन/व्यवसायिक भवन की नक्शा पास करवाने में वाटर हारवेस्टि आवश्यक किया गया है जिसकी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है किन्तु क्या नगर निगम द्वारा खुद बनाये गये भवनों/व्यवसायिक भवन एवं कार्यालय में वाटर हारवेस्टि का निर्माण किया गया है या नही वाटर हारवेस्टिंग न होने पर इसकी वसूली का क्या प्रावधान है ।	मान0 श्री कौशिक शुक्ला द्वारा पूछे प्रश्न के संबंध में कार्यपालन अभियंता द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि नगर निगम द्वारा अपने बनाये गये भवनों, व्यवसायिक भवन एवं कार्यालय में वाहर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाना है । जिसकी कार्यवाही हेतु संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिया जा चुका है । वर्तमान में कार्यो का अंतिम देयक का भुगतान नही किया गया है । मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा भू–जल स्तर को बनाये रखने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जाने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया ।

03. माननीया श्रीमती लक्ष्मी कश्यप जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	गीदम रोड में अव्यवस्थित रूप खराब गाड़िया गई दिनों से खड़ी है ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि गीदम रोड में अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को निगम द्वारा यातायात पुलिस की सहायता से हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।
2.	तेतरकुटी स्थित पानी टंकी से लगातार पानी सप्लाई की वजह से वहॉ लोगो को आये दिन पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में जलप्रदाय विभाग के सभापति मान0 श्री उदय नाथ जेम्स द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि विगत दो दिनों से विद्युत अवरोध होने के कारण पानी की सप्लाई में कठिनाई आ रही थी । इसे दो दिवस में भीतर ठीक करा लिया जावेगा ।
3	गीदम रोड में अक्सर मवेशियों का जमावड़ा रहता है । जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि मवेशियों के जमावड़ा को सड़क से हटाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा किया जा रहा है । गीदम रोड से भी मवेशियों के जमावड़ा को हटाने की कार्यवाही निगम द्वारा की जावेगी ।

04 माननीया सुश्री राधामणी जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	किस–किस वार्ड में सफाई को लेकर दिए गये सामाग्रियों पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभापति मान0 श्री राजेश चौधरी जी द्वारा वार्डो में सफाई के संबंध में दिये गये सामग्रियों की जानकारी सदन में दी गई । जिस पर नेताप्रतिपक्ष द्वारा सामग्री कय की विधि कोटेशन के माध्यम से किये जाने पर सवाल उठाते हुए निविदा के माध्यम से सामग्री कय करने की बात कही । जिसपर मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा आयुक्त महो0 को निविदा के माध्यम से सामग्री कय करने की कार्यवाही करने का निर्देश सदन में दी गई ।
2.	48 वार्डो में दिये जाने वाले जेसीबी (सफाई को लेकर) समय सीमा पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभापति मान0 श्री राजेश चौधरी जी द्वारा वार्डो में जेसीबी के संबंध जानकारी सदन में दी गई ।
3	शहर में पॉच हाई मास्क लाईट लगे हुए है जो कि बंद पड़े है, पर चर्चा । एवं बिजली व्यवस्था पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में जलप्रदाय विभाग के सभापति मान0 श्री उदय नाथ जेम्स द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि शहर में स्थित पॉचों हाई मास्क लाईट बंद पड़े थे । उसे चालू करवा दिया गया है तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरंतर सड़क बत्ती सुधार कार्य किया जाता है ।

05. माननीय श्री संग्राम सिंह राणा जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	नगर निगम से निकाले गए एवं रखे गये कर्मचारियों के मापदण्डों पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में मान0 महापौर महो0 द्वारा जानकारी दी गई कि शासन के द्वारा स्वीकृत सेटअप के आधार पर प्लेसमेंट कर्मचारियों को रखा गया है तथा स्वीकृत सेटअप से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया गया है । निकाले गये कर्मचारियों को रखने हेतु शासन स्तर पर सेटअप की मांग की गई है ।
2.	लागू नर्सिंग होम के सामने स्थित टैक्सी स्टैण्ड हटाने पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि लागू नर्सिंग होम के सामने टैक्सी स्टैण्ड निर्मित नही है । इसे हटाने का प्रश्न नही होता है । मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा उक्त स्थान पर अनाधिकृत रूप से अव्यवस्थित वाहनों के संबंध यातायात विभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है ।

3	गुरूगोविन्द सिंह वार्ड पर स्थित ग्रीन सिटी के बाजू में बने गलत तरीके से बने सेड पर चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में मान0 महापौर महो0 द्वारा कार्यपालन अभियंता को उक्त सेड का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए यदि गलत तरीके से सेड का निर्माण होना पाया जाता है । तो उसे तोड़ने की कार्यवाही करने कहा गया ।

06. मानेनीय श्री राजेन्द्र बाजपेयी जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	शहर की लचर विद्युत व्यवस्था के संबंध में चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में विद्युत विभाग के सभापति मान0 श्री उदय नाथ जेम्स द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि शहर की स्ट्रीट लाईट की समस्या दुरस्त करने हेतु विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
2.	यात्री प्रतीक्षालय के संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में चर्चा ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि यात्री प्रतिक्षालय के संरक्षण एंव संवर्धन के संबंध में निगम द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आय प्राप्त कर उसके संरक्षण एवं संवर्धन की कार्यवाही की जावेगी ।
3	सिटी बस संचालन का प्रचार–प्रसार के संबंध में ।	सिटी बस संचालन नगरपालिक निगम, जगदलपुर से संबंधित नही है ।

07. माननीय श्री राजपाल कसेर जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	लागू नर्सिंग होम के सामने रिक्त भूमि पर चर्चा ।	विषय पर सदन में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा लागू नर्सिंग होम के सामने रिक्त भूमि पर निगम की आय बढ़ाने की दृष्टि से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाना उचित होगा की जानकारी सदन में दी गई । जिसपर मान0 नेताप्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया है कि पूर्व परिषद में इस रिक्त भूमि पर पं0दीनदयाल जी की प्रतिमा के साथ पार्किंग हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था । इस पर संबंधित वार्ड की पार्षद महोदया श्रीमती अंजू रॉय के द्वारा पं0दीनदयाल जी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई । जिसपर मान0अध्यक्ष महो0 द्वारा सदन की राय जाननी चाही, जिसपर सदन ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की अतएव उक्त स्थल पर पं0दीनदयाल जी की प्रतिमा स्थापित कर सौंदर्यीकरण का कार्य कराये जाने का निर्देश दियां गया ।

2.	मेरे द्वारा सभा दिनांक 30.03.2015 एवं दिनांक 26.06.2015 में प्रश्नों में हुई कार्यवाही की जानकारी पर चर्चा ।	मान0 श्री राजपाल कसेर जी द्वारा उनके साथ श्री मुन्ना नायक, सफाई दरोगा (प्लेसमेंट कर्मचारी) की शिकायत किये जाने के फलस्वरूप पिछले बैठक में श्री मुन्ना नायक को कार्य से पृथक किया गया था । इस संबंध में श्री मुन्ना नायक द्वारा मान0 अध्यक्ष महो0 के नाम पत्र लिखकर सम्मानीय पार्षद के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगा गया । श्री मुन्ना नायक के माफीनामा के संबंध में सदन में चर्चा की गई । चर्चा उपरांत इस विषय को आगामी सामान्य सभा में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया ।
3	राशन दुकान (नवनिर्मित) निर्माण पर चर्चा ।	विषय पर सदन में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रत्येक वार्ड में राशन दुकान का निर्माण किया जाना है । किन्तु स्थल के अभाव के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है । जिन–जिन वार्डो में राशन दुकान हेतु स्थान उपलब्ध होते जा रहे है । वहॉ–वहॉ राशन दुकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

08. माननीय श्री अतुल कौशल जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	अटल आवास के संबंध में ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में जलप्रदाय विभाग के सभापति मान0 श्री उदय नाथ जेम्स द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि कार्लीपुर स्थित अटल आवास में गंदापानी सप्लाई होने के कारण ट्यूबवेल बंद कर नया ट्यूबवेल में 3 एचपी का मोटर पंप संचालित कर शुद्ध पानी का सप्लाई की गई है । आवश्यकता को देखते हुए धरमपुरा फिल्टर प्लांट से लाईप लाईन विस्तार कर दूसरा विकल्प चालू किया गया है । फिलहाल पानी की समस्या नही है । विद्युत अवरोध के कारण कभी–कभी समस्या उत्पन्न हो रही है ।
2.	महावीर नगर एवं बजरंग वार्ड में पानी की समस्या ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में जलप्रदाय विभाग के सभापति मान0 श्री उदय नाथ जेम्स द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि महावीर नगर कॉलोनी प्राइवेट है। कॉलोनाईजर द्वारा समुचित व्यवस्था नही करने के कारण समस्या बनी हुई है । वर्तमान समय तक कॉलोनी नगर निगम को हेण्डओवर नही हुआ है । बजरंग नगर वार्ड में तकनीकि खराबी जैसे वाल्ब, पाईप लाईन, विद्युत खम्बें में खराबी आने के कारण कभी–कभी पानी सप्लाई प्रभावित हो जाता है । जिसे समय–समय पर ठीक करा लिया जाता है ।

3	कचरा पॉलीटेक्निक कॉलोनी के पीछे फेकने के संबंध में । एवं आवश्यकतानुसार प्रश्न सामान्य सभा में पूछने बाबत् ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभापति मान0 श्री राजेश चौधरी जी द्वारा जानकारी दी गई कि पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे जो कचरा फेका जा रहा है । जिसे दो माह के अन्दर कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण किया जाकर बन्द कर सीधे ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन स्थल, कंगोली में वैधानिक तरिके से निष्पादन किया जावेगा ।

09. माननीय श्री धनसिंह नायक जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	सफाई से संबंधित मेरे वार्ड में कचरा डालना बंद कराये एवं सुअरों का पालन भी बंद कराये ।	पुछे गये प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभापति मान0 श्री राजेश चौधरी जी द्वारा जानकारी दी गई कि कचरा डालने के संबंध में दो माह के अन्दर कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण किया जाकर बन्द कर सीधे ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन स्थल, कंगोली में वैधानिक तरिके से निष्पादन किया जावेगा । मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को निगम क्षेत्रान्तर्गत सुअर पालन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हाकिंत कर नोटिस देने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है ।
2.	मेरे वार्ड में पीडीएस गोदाम का कार्य चालू कराये । पीडीएस गोदाम का कार्य जवाहर नगर रेल्वे स्कूल में चल रहा है । उसका विरोध क्यों नही हुआ ।	विषय पर सदन में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा जानकारी दी गई कि मान0 पार्षद के वार्ड में पीडीएस गोदाम बनाने का कार्य खाद्य विभाग के स्वीकृति पश्चात् शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा । मान0 अध्यक्ष महो0 के वार्ड में रिक्त स्थल न होने के कारण जो पीडीएस गोदाम की स्वीकृति प्राप्त हुई है । उसे मान0 श्री धनसिंह नायक जी के वार्ड में बनाने का निर्देश मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा कार्यपालन अभियंता को दिया गया है ।

10. माननीय श्री रजनीश पानीग्राही जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	आईएचएसडीपी एवं अटल आवास योजना के आबंटन/बलात कब्जा के संबंध में विस्तृत चर्चा ।	विषय पर चर्चा के दौरान मान0 अध्यक्ष महो0 के द्वारा आईएचएसडीपी एवं अटल आवास योजना के आबंटन/बलात कब्जा के संबंध मे जांच समिति का गठन किया गया है । जो कि निम्नानुसार है :– 1. मान0 महापौर महो0 – अध्यक्ष 2. मान0 श्री के0यशवर्धन राव जी – सदस्य 3. मान0 श्री उदय नाथ जी – सदस्य

		4. मान0 श्री अब्दुल रशीद जी – सदस्य 5. मान0 श्री राजेश चौधरी जी – सदस्य 6. मान0 श्री संजय पाण्डे जी – सदस्य 7. मान0 श्री संग्राम सिंह राणा जी– सदस्य 8. मान0 श्री रामाश्रय सिंह जी – सदस्य 9. मान0 श्री रजनीश पानीग्राही जी– सदस्य 10. संबंधित वार्ड के पार्षद – सदस्य 11. आयुक्त, नपानि, जगदलपुर – सचिव 12. राजस्व अधिकारी, नपानि, जगदलपुर – सदस्य उक्त समिति आबंटन एवं बलात कब्जाधारी हितग्राहियों के संबंध में जांच कर सदन को अवगत करायेगें ।
2.	सफाई अव्यवस्था के संबंध में विशेषकर बस्तर दशहरा एवं आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर्व को ध्यान में रखते हुए । चर्चा	पुछे गये प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभापति मान0 श्री राजेश चौधरी जी द्वारा जानकारी दी गई कि दशहरा पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा तथा छठ पूजा को देखते हुए 70 सफाई कर्मचारियों को प्लेसमेंट के आधार पर एक माह के लिए रखा जाकर विशेष सफाई कराये जाने का निर्णय सदन में लिया गया ।
3.	आबंटित दुकानों के अतिरिक्त स्वयं द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमण एवं शहर में पुराने कबाड़ वाहनों से हो रहे अतिक्रमण पर चर्चा । एवं अन्य वाहनों द्वारा मनमाना पार्किंग के संबंध में चर्चा ।	विषय पर सदन में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा जानकारी दी गई कि अवैध निर्माण/अतिक्रमण एवं शहर में पुराने कबाड़ वाहनों से हो रहे अतिक्रमण पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

अपरान्ह 3.30 बजे भोजन अवकाश की घोषणा मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा की गई । भोजन अवकाश उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः 4.15 बजे प्रारंभ की गई ।

11. माननीय श्री रामाश्रय सिंह जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	संजय बाजार परिसर में निर्मित दुकानों एवं रोड में हुये अतिक्रमण के संबंध में जिसका पिछले सामान्य सभा में जिक किया गया था । उस पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवे व अन्य समस्याओं पर चर्चा ।	विषय पर सदन में लोक निर्माण विभाग के सभापति मान0 श्री यशवर्धन राव जी द्वारा जानकारी दी गई कि आबंटित दुकानों के अतिरिक्त कब्जें के संबंध में संबंधित व्यवसायियों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था । कुछ व्यवसायियों का अवैध कब्जा निगम द्वारा हटा दिया गया है । कुछ व्यवसायियों ने नोटिस के जबाब में आवेदन प्रस्तुत कर समझौता शुल्क जमाकर कराकर अवैध निर्माण स्थल को आंबटन करने की मांग करने की जानकारी सदन को दी गई । जिस पर चर्चा के उपरांत सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि संजय मार्केट में जो व्यसायियों द्वारा आबंटित स्थल से अतिरिक्त कब्जा किया गया है । उस पर कोई समझौता न करते हुए सख्ती से कार्यवाही करने हेतु मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा माह अक्टूबर तक का समय दिया गया ।

2.	भवन निर्माण कालीपुर स्थित अटल आवास एवं सीसी रोड निर्माण नयापारा स्थित भदौरिया भवन के पीछे गली, एलआईसी आफिस के सामने नाली–सड़क नया बस स्टैण्ड स्थित (परिसर) में बनी सड़क व वीरसावरकर भवन (कम्युनिटी हॉल) परिसर में बनी सड़कों में भारी अनियमितता हुई ऐसा प्रतित हो रहा है, इसके लिऐ जो मापदण्ड है या डब्लूडी के वह पूरा हुआ कि नही और दोषी कौन–कौन है जानकारी देवें ।	विषय पर सदन में चर्चा उपरांत मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा कालीपुर स्थित अटल आवास क्रमांक एफ–168,169 एवं 170 का निरीक्षण कर दोषी खिलाफ कार्यवाही करने एवं सड़कों के संबंध में जांच कराये जावे । टेक्निकल टीम को भी जांच दल में शामिल किया जावे । जांच के दौरान दोषी पाये जानेपर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
3.	नया बस स्टैण्ड परिसर में व्याप्त यात्रियों गंदगी, वहॉ किये गये अतिक्रमण व सुलभ शौचालय के केयर टेकर द्वारा लगातार यात्रियों द्वारा अधिक पैसे लिऐ जाने के संबंध में चर्चा ।	विषय पर सदन में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया है कि निगम द्वारा वर्तमान में भारत स्वच्छ मिशन का अभियान चलाया जा रहा है । जिसके उपरांत ही नया बस स्टैण्ड में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।
4.	बिजली के उपकरण खरीदी पश्चात्, पूरी सामाग्री स्टोर में पहुँची की नही, उसे सत्यापित या जॉच करने हेतु एक समिति का निर्माण पर चर्चा ।	विषय पर सदन में चर्चा के दौरान अधिकांश मान0 पार्षदों द्वारा विद्युत प्रभारी को बदलने की मांग की गई । जिस पर मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा आयुक्त महो0 को वर्तमान विद्युत प्रभारी को हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को विद्युत शाखा का प्रभार देने का निर्देश दिया गया ।

12. माननीय श्री के0 नरसिंह राव जी द्वारा किये गये प्रश्न

1.	वर्तमान परिषद के नौ माह के कार्यकाल में जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र की जनता को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के संबंध चर्चा ।	विषय पर सदन में चर्चा के दौरान मान0 महापौर महो0 द्वारा सफाई के संबंध में जानकारी दी गई है कि निगम के लगभग 250 प्लेसमेंट के कर्मचारियों कार्य से पृथक कर दिया गया था । कचरा वाहनों के चालक एवं अन्य कुछ कर्मचारियों की स्वीकृति पुनः प्राप्त होने के फलस्वरूप कुछ हद तक सफाई कार्य पटरी पर आई है । सड़क सफाई में लगे प्लेसमेंट के महिला कर्मचारी बन्द होने के कारण कार्य जरूर प्रभावित हुई है । डीजल के लिए शासन के मापदण्ड के परिपालन में ट्रेक्टरों की डीजल सीमा 6 लीटर प्रतिदिन तय कर दी गई थी । वर्तमान समय पर 8 लीटर डीजल दिया जा रहा है । पूर्व में 32 आटो थे, 5 नये ऑटो खरीदने से ऑटो की संख्या 37 हो गये है । इसके अलावा 607 भी क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है । इन्ही कारणों से सफाई कार्यो में दिक्कत आ रही है । वर्तमान समय में 90 महिला कर्मचारी का सेटअप शासन को भेजा गया है । स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक महिला कर्मचारी उपलब्ध कराया जाकर समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा ।
2.	विगत सामान्य सभा में मेरे द्वारा जो जानकारी चाही गई थी, उस संबंध में चर्चा ।	विषय पर सदन में चर्चा उपरांत मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा मान0 श्री नरसिंह राव जी को विगत दो माह की जानकारी प्रदाय करने हेतु कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया गया है ।

सांय 5.30 बजे सदन की कार्यवाही कल पूर्वान्ह 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा की गई ।

सामान्य सभा की सम्मिलन दिनांक 01.10.2015 की कार्यावली

सदन की कार्यवाही 12.00 बजे वन्दे मातरम् के साथ प्रारंभ की गई । बैठक में निर्धारित एजेण्डा पर चर्चा किया जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है ।

1 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 01 में अनुशंसा अनुसार संजय बाजार की एक्स –वाई ब्लाक की 16 दुकानों में 12 दुकानों हेतु प्राप्त उच्चतम् दरों की स्वीकृति बाबत् विचार एवं निर्णय । स्वीकृत दुकानों का विवरण निम्नानुसार है –

स.क्र	आरक्षण व दुकान क्र.	उच्चतम दर दाताओं का नाम	शा० दर	प्राप्त उच्चतम दर
1	अनारक्षित वाय 11	खेतमल बुरड	8 लाख	1351555.00
2	अनारक्षित वाय 12	संगीता अग्रवाल	8 लाख	1051000.00
3	अनारक्षित वाय 16	संगीता अग्रवाल	8 लाख	1051000.00
4	अनारक्षित एक्स 01	नितेश वासवानी	15 लाख	2500101.00
5	अनारक्षित एक्स 05	कमल जैन	15 लाख	2602000.00
6	अनारक्षित एक्स 02	कैलाश वासवानी	15 लाख	2300101.00
7	अ.पि.वर्ग एक्स 03	सुनैना यादव	15 लाख	2000271.00
8	अ.पि.वर्ग वाई 14	रूपेश देवागन	8 लाख	1121121.00
9	अ.पि.वर्ग एक्स 04	मुकेश गुप्ता	15 लाख	1926000.00
10	महिला एक्स 06	करूणा जैन	15 लाख	2312112.00
11	महिला वाई 15	करूणा जैन	8 लाख	1512112.00
12	स्वतंत्रता सग्राम सेनानी. /विकलांग /भूसैनिक एक्स	शशिकान्त प्रसाद गुप्ता	15 लाख	2010100.00

विषय पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संजय बाजार की एक्स –वाई ब्लाक की 16 दुकानों में 12 दुकानों का उच्चतम दर प्राप्त हुआ । जिसमें से दुकान कमांक–वाय 16 एवं दुकान कमांक–महिला वाय 15 को निरस्त करते हुए । शेष दुकानों की स्वीकृति सर्व सम्मति दी गई । साथ ही पूर्व में आबंटित दुकानों को यथावत रखते हुए, भविष्य में जब भी दुकानों के आबंटन हेतु निविदा आमंत्रित की जावेगी । उसमें एक परिवार से एक सदस्य ही भाग लेने संबंधी शर्तो का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

2 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 02 में अनुशंसा अनुसार संजय बाजार परिसर में स्थित थोक सब्जी मंडी की शेष 06 दुकानों में से केवल 01 दुकान हेतु प्राप्त उच्चतम् दरों की स्वीकृति बाबत् विचार एवं निर्णय । स्वीकृत दुकान का विवरण निम्नानुसार है –

विषय पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संजय बाजार परिसर में स्थित थोक सब्जी मंडी की शेष 06 दुकानों में से केवल 01 दुकान हेतु प्राप्त उच्चतम् दरों की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है ।

स. क्र	आरक्षण व दुकान क्र.	उच्चतम दर दाताओं का नाम	शा0 दर	प्राप्त उच्चतम दर
1	अनारक्षित , 09	श्री रावलमल गोलछा	10 लाख	1151511.00

3 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 03 में अनुशंसा अनुसार पूर्व सामान्य सभा के बैठक दिनांक 30.03.2015 के संकल्प कमांक–03 द्वारा चांदनी चौंक के पास स्थित बैलाकौठा कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल का न्यूनतम मासिक किराया प्रति वर्ग फीट 16 रूपये प्रतिमाह निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई तथा सामान्य सभा की सम्मिलन दिनांक 17.07.2015 के संकल्प कमांक–09 में उक्त स्थल के प्रथम एवं द्वितीय तल में लॉज निर्माण स्वयं के व्यय पर कर उसे संचालित व संधारित करने तथा अधिकतम मासिक किराया पर दिये जाने के निर्णय का कियान्वयन नही हो पाने के कारण निम्नानुसार अधिकतम ऑफर आफिस (कार्यालय) बनाने के प्राप्त हुये है ।

स. क्र	आफिस/ कार्यालय हाल क्र.	उच्चतम दर दाताओं का नाम	शा0 दर	प्राप्त उच्चतम दर
1	अनारक्षित एफ 02	विमल चंद्र दास	15846.00	**16770.00**
2	अनारक्षित एफ 03	नवभारत प्रेस, रायपुर	15846.00	**16925.00**
3	अनारक्षित एफ 13	पी.के. इन्टरप्राईजेस	7289.00	**7315.00**
4	अनारक्षित एफ 08	राजु ठाकुर	3794.00	**4100.00**
5	अनारक्षित एफ 12	स्वाती सोनवानी	4394.00	**4450.00**
6	अनारक्षित एफ 01	नेशनल इंसोरेन्स कं.	23903.00	**24651.00**
7	अनारक्षित एफ 07	करमजीत कौर	3794.00	**3850.00**

पूर्व में निगम की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 30.03.2015 में लिये गये निर्णयानुसार निगम हित में किराये पर दिये जाने हेतु उच्चतम दर की स्वीकृति बाबत् विचार एवं निर्णय ।

विषय पर चर्चा के दौरान अधिकांश मान0 पार्षदों द्वारा दिनांक 17.07.2015 को संपन्न हुई बैठक में बैलाकोठा के प्रथम एवं द्वितीय तल को लॉज निर्माण हेतु दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तो इसका पालन न करते हुए दिनांक 30.03.2015 को लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई है । इसका पालन पूर्व में ही किया जाना था । परिषद द्वारा दिनांक 17.07.2015 को लॉज हेतु प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 30.03.2015 को लिये गये निर्णय को संशोधित कर उसी के अनुरूप कार्यवाही किया जाना चाहिए था । इस बात को लेकर बुलाई गई निविदा को निरस्त करने की मांग की गई ।

उपरोक्त कारणों से प्राप्त निविदा को सर्व सम्मति से निरस्त कर दिनांक 30.03.2015 एवं 17.07.2015 को पारित निर्णय अनुसार आरक्षण नियम का पालन करते हुए, दोनो प्रयोजन हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने एवं यह नियम निगम के अन्य व्यवसायिक परिसर के प्रथम एवं द्वितीय तल पर भी लागू रहने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया ।

4 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 04 में अनुशंसा अनुसार संजय बाजार परिसर में स्थित पुराना कार्यालय के स्थान के 12 दुकानों में से केवल 05 दुकानों हेतु प्राप्त उच्चतम दरों की स्वीकृति बाबत् विचार एवं निर्णय । स्वीकृत दुकानों का विवरण निम्नानुसार है –

स. क्र	आरक्षण व दुकान क्र.	उच्चतम दर दाताओं का नाम	शा0 दर	प्राप्त उच्चतम दर

विषय पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संजय बाजार परिसर में स्थित पुराना कार्यालय के स्थान के 12 दुकानों में से केवल 05 दुकानों हेतु प्राप्त उच्चतम दरों की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है ।

1	अनारक्षित एफ 09	अनुराग अवस्थी	5340.00	5500.00
2	अनारक्षित एफ 13	पी सुधारानी	5340.00	7001.00
3	अनारक्षित एफ 07	कल्पना गुप्ता	5340.00	6000.00
4	विधवा परित्यावत्ता/ भूतपूर्व सैनिक एफ04	बंधुमती जैन.	5340.00	6570.00
5	अजा/भू.पू.सै. /विक./स्व.सं.से. /शि.बेरो./महिला एफ 16	पी वन लक्ष्मी	5340.00	7001.00

5 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 05 में अनुशंसा अनुसार स्वीमिंगपुल सह लॉन को किराये पर दिये जाने हेतु प्राप्त निविदा की दरे निम्नानुसार है ।

स.क्र	निविदा का नाम	उच्चतम दर दाताओं का नाम	शा0 दर	प्राप्त उच्चतम दर
1	स्वीमिंग पुल संचालन	रजनीश सिन्हा	50 हजार	53000.00
2	स्वीमिंग पुल संचालन	विक्रांत वर्मा	50 हजार	55000.00
3	स्वीमिंग पुल संचालन	पंकज राज परमार	50 हजार	51500.00

उपरोक्तानुसार श्री विकांत वर्मा का उच्चतम मासिक किराया की राशि स्वीकृति बाबत् विचार एवं निर्णय ।

विषय पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि स्वीमिंगपुल सह लॉन को किराये पर दिये जाने हेतु निविदा शर्तो के अनुसार निविदा के साथ 20.00 लाख रूपये की बैंक गांरटी जमा नही करने के कारण प्राप्त निविदा को निरस्त किया जाता है । साथ ही पूर्व के बैंक गारण्टी शर्तो में संशोधन कर 20.00 लाख रूपये की निविदा स्वीकृति के पश्चात् 07 दिवस के भीतर जमा करने के शर्त के साथ पुनः निविदा आंमत्रित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया है ।

6 मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 18.09.2015 के संकल्प कमांक 07 के अनुसार नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर अधिरोपण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन और विकास विभाग से प्राप्त पत्र कमांक/231/2015, नया रायपुर, दिनांक 31.08.2015 तथा संचालनालय से प्राप्त पत्र कमांक/या.प्र. –5/2015/8913, रायपुर, दिनांक 04.09.2015 के संबंध में विषय नितिगत होने के कारण सामान्य सभा में प्रस्तुत कर निर्णय लेने हेतु अनुशंसा की गई ।

विषय पर चर्चा के दौरान मान0 महापौर जी द्वारा जानकारी दी गई कि शासन द्वारा संपत्तिकर का जो लक्ष्य दिया गया है । उसे वर्तमान में भवनों पर संपत्ति कर हेतु कराये जा रहे सर्वे से करदाताओं की संख्याओं में वृद्धि होने से पूर्ण होने का अनुमान है । इस संबंध में आयुक्त महो0 द्वारा सदन मे जानकारी दी गई कि शासन के आदेशानुसार संपत्तिकर वृद्धि करना अतिआवश्यक है। क्योंकि निगम की वित्तिय स्थिति ठीक नही होने के कारण संपत्तिकर में वृद्धि किया जाना आवश्यक है ।

अतः चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया की वर्तमान में संपत्तिकर से कुल आय 3.10 करोड़ है । जिसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि नये संपत्तिकर दाताओं से प्राप्त कर कुल आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जावें । पूर्व में दे रहे संपत्तिकर दाताओं पर इसका भार न डाला जायें ।

7	केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" एवं "स्वच्छ भारत मिशन" पर सदन में चर्चा हेतु ।	*विषय के संबंध में कार्यपालन अभियंता द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी सदन को दी गई तथा इस योजना के लाभ हेतु 10 तारिख तक हितग्राहियों से आवेदन फर्म जमा करने में मान0 पार्षदो से आवश्यक सहयोग करने का निवेदन किया गया ।*

सदन में मान0 संजय बाफना जी के द्वारा शासन द्वारा दिये जाने वाले श्रद्धांजली योजना की राशि समय पर नही मिलने की जानकारी सदन को दी गई तथा दिये जाने वाले राशि 2000/– रूपये को बढ़ाकर 3000/– रूपये करने की मांग की गई । इस पर मान0 अध्यक्ष महो0 द्वारा सदन की राय मांगी, जिसमें सर्व सम्मति से शासन द्वारा 2000/– रूपये तथा निगम निधि से 1000/– रूपये इस प्रकार कुल 3000/– रूपये पात्र हितग्राहियों को प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही अध्यक्ष महो0 स्वास्थ्य अधिकारी को समय पर राशि प्रदान करने का निर्देश दिया गया ।

सभा की कार्यवाही अपरान्ह 3.30 बजे समाप्त की गई ।

हस्ता/– सही
(शेष नारायण तिवारी)
अध्यक्ष
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

//सत्यप्रतिलिपि//

सचिव
सामान्य सभा
नगरपालिक निगम, जगदलपुर